इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 207] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 12 मई 2016—वैशाख 22, शक 1938

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 मई 2016

क्रं. एफ 1–57/स्था./प्र.रा.आ./2016/1/ :: मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला–मुरैना** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :–

स.क्र.	राजस्व निरीक्षक का नाम
1.	श्री शंकरलाल पाल
2.	श्री राजकुमार माहौर
3.	श्री रमेश सिंह तोमर
4.	श्री रामनिवास शर्मा
5.	श्री भूदेव सिंह महौबिया
6.	श्री विश्राम शाक्य
7.	श्री मनोज दिवाकर
8.	श्री महेश माहौर
9.	श्री मुकेश कुमार दुबे
10.	श्री जण्डेलसिंह तोमर
11.	श्री राकेश कुमार कुलश्रेष्ठ
12.	श्री सतेन्द्र सिंह तौमर
13.	श्री लालसिह राजपूत

2. शर्तें :–

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे।

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है।

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है। इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी।

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश जारी कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

12.5.16

(के.के.खरे)
प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.
एवं पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

क्रं. एफ 1–57/स्था./प्र.रा.आ./2016/2/ :: मध्यप्रदेश भू–रांजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला–श्योपुर** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :–

स.क्र.	राजस्व निरीक्षक का नाम
1.	श्री मुरारीलाल उप्रेती
2.	श्री लाल बहादुर शर्मा
3.	श्री राकेश कुमार वर्मा
4.	श्री तरसीसियुस लकडा
5.	श्री सुरेन्द्र सिंह राजोरिया

2. शर्तें :–

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे।

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है।

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह

पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है। इससें राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी।

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश जारी कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के.के.खरे) 12.5.16
प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.
एवं पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

क्रं. एफ 1–57/स्था./प्र.रा.आ./2016/3/ :: मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला–भिण्ड** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :–

स.क्र.	राजस्व निरीक्षक का नाम
1.	श्री कमलकिशोर शर्मा
2.	श्री प्रदीप कुमार ऋषीश्वर
3.	श्री प्रदीपकुमार वर्मा
4.	श्री सुघरसिंह प्रजापति
5.	श्री कृष्णविहारी द्विवेदी
6.	श्री के.पी. सिंह भदौरिया
7.	श्री रामप्रकाश शर्मा
8.	श्रीमती मनीषा मिश्रा
9.	श्रीमती नीरज मिश्रा
10.	श्री बलराम दौहरे
11.	श्री विनोदसिंह तोमर
12.	श्री वलबीरसिंह भदौरिया
13.	श्री अनिलसिंह भदौरिया
14.	श्री रामसेवक मांझी
15.	श्री आनंदसिंह भदौरिया
16.	श्री आनंदकुमार शुक्ला
17.	श्री अशोककुमार तैनवार
18.	श्री प्रतापराव गौरकर
19.	श्री आलौकसिंह भदौरिया

2. शर्तें :–

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे।

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है।

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है। इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी।

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश जारी कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के.के.खरे) 12.5.16
प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.
एवं पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

क्रं. एफ 1–57/स्था./प्र.रा.आ./2016/4/ :: मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला–ग्वालियर** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :–

स.क्र.	राजस्व निरीक्षक का नाम
1.	श्री सुखदेव सिंह सेंगर
2.	श्री कुबेर सिह भदौरिया
3.	श्री लक्ष्मी नारायण शाक्य
4.	श्री विमल कुमार कुलश्रेष्ठ
5.	श्री दिलीप दरोगा
6.	श्री श्रीनिवास शर्मा
7.	श्री संजीव कुमार तिवारी
8.	श्री सुरेश कुमार राठौर

2. शर्तें :–

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे।

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार

की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है।

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है। इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी।

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश जारी कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

12.5.16

(के.के.खरे)
प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.
एवं पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

क्रं. एफ 1–57/स्था./प्र.रा.आ./2016/5/ :: मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला–शिवपुरी** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :–

स.क्र.	राजस्व निरीक्षक का नाम
1.	श्री उमेश गुप्ता
2.	श्री राजवीर भदौरिया
3.	श्री नाथूराम सविता
4.	श्री धीरज सिंह परिहार
5.	श्री शैलेन्द्र देव सेंगर
6.	श्री दीनाराम काकोड़िया
7.	श्री नरेन्द्र कुमार जैन
8.	श्रीमती सरिता भदौरिया
9.	श्री उत्तम सिंह
10.	श्री महेन्द्र कोरकू
11.	श्री शिवचरण लाल महौर
12.	श्री राकेश सुमन
13.	श्री नीतेन्द्र श्रीवास्तव
14.	श्रीमती जोगेन्द्र चौहान

2. शर्तें :–

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों

का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे।

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है।

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है। इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी।

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश जारी कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के.के.खरे) 12.5.16
प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.
एवं पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

क्रं. एफ 1–57/स्था./प्र.रा.आ./2016/6/ :: मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला–गुना** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :–

स.क्र.	राजस्व निरीक्षक का नाम
1.	श्री अशोक कुमार प्रधान
2.	श्री कैलाश नारायण साहू
3.	श्री रामरतन आदिवासी
4.	श्री हरवीर सिंह रघुवंशी
5.	श्री बनवारी लाल डोंगर
6.	श्री बृजेन्द्र सिंह बरैया
7.	श्री कल्याण सिंह
8.	श्री गजेन्द्र सिंह मीना
9.	श्री कालूराम मीना
10.	श्री मनसुख बामनिया

2. शर्तें :–

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय

अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे।

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है।

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है। इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी।

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश जारी कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

12.5.16

(के.के.खरे)
प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.
एवं पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

क्रं. एफ 1–57/स्था./प्र.रा.आ./2016/7/ :: मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला–अशोकनगर** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :–

स.क्र.	राजस्व निरीक्षक का नाम
1.	श्री राईसा जाटव
2.	श्री बलबहादुर सिंह कौरव
3.	श्री बद्री प्रसाद श्रीवास्तव
4.	श्री रमेश रघुवंशी

2. शर्तें :–

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे।

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है।

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है। इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का

लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी।

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश जारी कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के.के.खरे) 12.5.16
प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.
एवं पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

क्रं. एफ 1–57/स्था./प्र.रा.आ./2016/8/ :: मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला–दतिया** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :–

स.क्र.	राजस्व निरीक्षक का नाम
1.	श्री जे.पी.श्रीवास्तव
2.	श्री संजय भट्ट
3.	श्री राजेन्द्र सिंह परमार
4.	श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी
5.	श्री ए.के.गौतम
6.	श्री अनरूद्ध श्रीवास्तव
7.	श्री अशोक श्रीवास्तव
8.	श्री ओमप्रकाश तिवारी
9.	श्री मोहनलाल शर्मा
10.	श्री विश्राम सिंह बघेल
11.	श्री मोतीलाल जाटव
12.	श्री वैजनाथ वर्मा

2. शर्तें :–

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे।

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है।

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है। इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी।

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश जारी कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

12.5.16
(के.के.खरे)
प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.
एवं पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

क्रं. एफ 1–57/स्था./प्र.रा.आ./2016/9/ :: मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला–रतलाम** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :–

स.क्र.	राजस्व निरीक्षक का नाम
1	श्री गुलाबसिंह परिहार
2	श्री पूनमचंद चोहान
3	श्री रमेश मालवीय
4	श्री चोखालाल टाक
5	श्री रामविलास वक्तावरिया
6	श्री भीमसिंह खराडी
7	श्री दुवेन्द्र सिंह गोयल
8	श्री घनश्याम लुहार
9	श्री मोहनलाल जागडे
10	श्री जितेन्द्र सिंह राजावत
11	श्री अभयसिंह नायक
12	श्री राजेश राठोर
13	श्री उद्धव देराडी
14	श्री दिलीप डोगरे

2. शर्तें :–

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे।

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है।

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है। इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी।

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश जारी कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

12.5.16

(के.के.खरे)
प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.
एवं पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

क्रं. एफ 1–57/स्था./प्र.रा.आ./2016/10/ :: मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला–शाजापुर** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :–

स.क्र.	राजस्व निरीक्षक का नाम
1.	श्री रमेशचन्द्र नागेश
2.	श्री राजेश वत्स
3.	श्री गौवर्धनलाल राजोरिया
4.	श्री राजाराम रानडे
5.	श्री भागीरथ जायसवाल
6.	श्री अवसर सिंह
7.	श्री तोतालाल बसंल
8.	श्री शत्रुघ्न कुमार मनहर

2. शर्तें :–

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे।

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार

की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है।

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है। इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी।

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश जारी कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के.के.खरे) 12.5.16
प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.
एवं पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

क्रं. एफ 1–57/स्था./प्र.रा.आ./2016/11/ :: मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला–मंदसौर** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :–

स.क्र.	राजस्व निरीक्षक का नाम
1.	श्री लालचंद शेरपुरिया
2.	श्री मांगीलाल चरेर
3.	श्री संतोष कुमार घाटिया
4.	श्री सत्यनारायण तलावट
5.	श्री नारायण चौहान
6.	श्री प्रमोद भाटी
7.	श्री भारत कुमार देवड़ा
8.	श्री शिवदत्त शर्मा
9.	श्री राजेश कुमार खरे

2. शर्तें :–

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे।

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है।

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है। इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी।

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश जारी कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के.के.खरे) 12.5.16
प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.
एवं पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

क्रं. एफ 1–57/स्था./प्र.रा.आ./2016/12/ :: मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला–नीमच** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :–

स.क्र.	राजस्व निरीक्षक का नाम
1.	श्री कमलेश कुमार शर्मा
2.	श्री दिनेश कुमार मेहता
3.	श्री शंकरलाल चौहान
4.	श्रीमती वर्षा भाटी
5.	श्री सुदेश कृष्णात्रे
6.	श्री सुनील अग्रवाल
7.	श्री अशोक कुमार सेन

2. शर्तें :–

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे।

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस

प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है।

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है। इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी।

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश जारी कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

12.5.16

(के.के.खरे)
प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.
एवं पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

क्रं. एफ 1–57/स्था./प्र.रा.आ./2016/13/ :: मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला–आगर मालवा** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :–

स.क्र.	राजस्व निरीक्षक का नाम
1	2
1.	श्री चैनसिंह भिलाला
2.	श्री कुमेर सिंह भिलाला
3.	श्री शोकत अली
4.	श्री नरेन्द्र कुमार बरोठिया

2. शर्तें :–

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे।

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है।

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है। इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी।

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश जारी कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के.के.खरे) 12.5.16
प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.
एवं पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

क्रं. एफ 1–57/स्था./प्र.रा.आ./2016/14/ :: मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला–धार** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :–

स.क्र.	राजस्व निरीक्षक का नाम
1.	श्री मेहमूद अली शाह
2.	श्री महेन्द्र सिंह चौहान
3.	श्री बाल किशोर सालवी
4.	श्री निर्मल कुमार शर्मा
5.	श्री रामअवतार औझा
6.	श्री जगदीश चन्द्र कामदार
7.	श्री भगवानसिंह ठाकुर

2. शर्तें :–

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे।

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस

प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है।

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है। इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी।

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश जारी कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

12.5.16

(के.के.खरे)
प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.
एवं पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

क्रं. एफ 1–57/स्था./प्र.रा.आ./2016/15/ :: मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला–अलीराजपुर** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :–

स.क्र.	राजस्व निरीक्षक का नाम
1.	श्री ठाकुर प्रसाद दोहरे
2.	श्री भरत कुमार भेवेंदिया

2. शर्तें :–

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे।

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है।

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है। इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी।

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश जारी कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

12.5.16

(के.के.खरे)
प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.
एवं पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

क्रं. एफ 1–57/स्था./प्र.रा.आ./2016/16/ :: मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला–झाबुआ** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :–

स.क्र.	राजस्व निरीक्षक का नाम
1.	श्री केशरसिंह हाडा
2.	श्री गजराज सिंह सोंलकी
3.	श्री धनजी गरवाल
4.	श्री बाबूसिंह निनामा

2. शर्तें :–

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे।

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है।

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है। इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का

लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी।

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश जारी कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के.के.खरे) 12.5.16
प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.
एवं पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

क्रं. एफ 1–57/स्था./प्र.रा.आ./2016/17/ :: मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला–खरगोन** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :–

स.क्र.	राजस्व निरीक्षक का नाम
1.	श्री महेश शर्मा
2.	श्री रमाकान्त रावल
3.	श्री राधाकृष्ण सोहनी
4.	श्री सज्जन सिंह मण्डलोई
5.	श्री मोबीन खॉन
6.	श्री प्रदीप सोहनी
7.	श्री सोहनलाल डालके
8.	श्री महादेव राठौर
9.	श्री मनोहर अत्रे

2. शर्तें :–

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे।

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है।

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है। इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी।

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश जारी कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

12.5.16

(के.के.खरे)
प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.
एवं पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

क्रं. एफ 1–57/स्था./प्र.रा.आ./2016/18/ :: मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला–बड़वानी** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :–

स.क्र.	राजस्व निरीक्षक का नाम
1.	श्री लखन लाल सोनी
2.	श्री विनोद कुमार यादव
3.	श्री ओंकार मनाग्रे
4.	श्री गजानंद चौहान
5.	श्री अनिल कुमार मण्डलोई
6.	श्री हिरालाल इस्कीया
7.	श्री राजाराम कन्नौज
8.	श्री छगनलाल नागराज
9.	श्री महेश कुमार साकले
10.	श्री रमेशचन्द्र चौहान

2. शर्तें :–

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय

अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे।

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है।

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है। इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी।

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश जारी कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

12.5.16

(के.के.खरे)
प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र:
एवं पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

क्रं. एफ 1–57/स्था./प्र.रा.आ./2016/19/ :: मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला–खण्डवा** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :–

स.क्र.	राजस्व निरीक्षक का नाम
1.	श्री गजेन्द्र सिंह सोलंकी
2.	श्री रमेश चौधरी
3.	श्री रामेश्वर खेरदे
4.	श्री मदनलाल टंगारे
5.	श्री अरविंद पाराशर

2. शर्तें :–

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे।

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है।

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह

पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है। इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी।

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश जारी कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

12-5-16

(के.के.खरे)
प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.
एवं पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

क्रं. एफ 1–57/स्था./प्र.रा.आ./2016/20/ :: मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला–बुरहानपुर** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :–

स.क्र.	राजस्व निरीक्षक का नाम
1.	श्री दशरथ महाजन
2.	श्री दिलीप गंगराडे
3.	श्री राजेन्द्र सिंह पंवार

2. शर्तें :–

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे।

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है।

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है। इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का

लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का ज़िले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी।

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश जारी कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के.के.खरे) 12.5.16
प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.
एवं पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

क्रं. एफ 1–57/स्था./प्र.रा.आ./2016/21/ :: मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला–भोपाल** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :–

स.क्र.	राजस्व निरीक्षक का नाम
1.	श्री गोपाल प्रसाद प्रजापति
2.	श्री बृजेन्द्र शरण चक्रधर
3.	श्री देवन्द्र शुक्ला
4.	श्री मुमताज अली
5.	श्री नीलेश सरवटे
6.	श्री इदरीश खान
7.	श्री जगदीश पटेल

2. शर्तें :–

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे।

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस

प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है।

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है। इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी।

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश जारी कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

12.5.16
(के.के.खरे)
प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.
एवं पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

क्रं. एफ 1–57/स्था./प्र.रा.आ./2016/22/ :: मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला–सीहोर** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :–

स.क्र.	राजस्व निरीक्षक का नाम
1.	श्री विष्णुप्रसाद जोशी
2.	श्री ओमप्रकाश वर्मा
3.	श्री लखनलाल लोधी
4.	श्री शरीफ अहमद
5.	श्री रतिराम अहिरवार
6.	श्री शिब्बू सिंह कसोरिया
7.	श्री विक्रम सिंह खटीक
8.	श्री किशोर सिंह सिकरवर
9.	श्री किशोरी लाल शैलू
10.	श्री मनोहर कुल्हारे

2. शर्तें :–

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय

अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे।

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है।

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है। इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी।

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश जारी कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के.के.खरे) 12.5.16
प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.
एवं पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

क्रं. एफ 1–57/स्था./प्र.रा.आ./2016/23/ :: मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला–रायसेन** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :–

स.क्र.	राजस्व निरीक्षक का नाम
1.	श्री रामेश्वर प्रसाद मालवीय
2.	श्री घासीराम मीरोठा
3.	श्री राधेश्याम राठौर
4.	श्री के.पी. बघेल
5.	श्री सूरज सिंह वर्मा
6.	श्री हेमराज मेहर
7.	श्री धनीराम अहिरवार
8.	श्री उमाशंकर विश्वकर्मा
9.	श्री राजेन्द्र नगरिया
10.	श्री करन्जूलाल अहिरवार
11.	श्री ललित सक्सैना
12.	श्री थानसिंह गौड़

2. शर्तें :–

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे।

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है।

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है। इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी।

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश जारी कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के.के.खरे) 12.5.16
प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.
एवं पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

क्रं. एफ 1–57/स्था./प्र.रा.आ./2016/24 / :: मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला–राजगढ़** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :–

स.क्र.	राजस्व निरीक्षक का नाम
1.	श्री मांगीलाल वर्मा
2.	श्री लालचन्द वर्मा
3.	श्री हरिशचन्द्र तोमर
4.	श्री जगदीश प्रजापति
5.	श्री मोतीलाल पंथी
6.	श्री भंवरलाल
7.	श्री सत्येन्द्र तिवारी
8.	श्री शंकरसिंह पटेलिया
9.	श्री कन्हैयालाल चौहान
10.	श्री रामगोपाल शर्मा
11.	श्री देवसिंह यादव
12.	श्री कृष्णपाल सिंह बरकडे
13.	श्री ओमप्रकाश चौधरी
14.	श्री बृजेन्द्र श्रीवास्तव

2. शर्तें :–

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों

का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे।

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है।

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है। इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी।

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश जारी कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

12.5.16
(के.के.खरे)
प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.
एवं पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

क्रं. एफ 1–57/स्था./प्र.रा.आ./2016/25/ :: मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला–विदिशा** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :–

स.क्र.	राजस्व निरीक्षक का नाम
1.	श्री अनिल सुवर्णा
2.	श्री मोतीलाल पंथी
3.	श्री शैलेन्द्र श्रीवास्तव
4.	श्री जीवनलाल जैन
5.	श्री रूपसिंह मीना
6.	श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव
7.	श्री राकेश सिंह जाटव
8.	श्री शिवराम चढार
9.	श्री रोडमल भील
10.	श्री प्रहलाद सिंह मीना
11.	श्री सुनील चौरे
12.	श्री श्याम नारायण सिंह
13.	श्री अब्दूल जब्बार खान

2. शर्तें :–

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना

जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे।

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है।

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है। इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी।

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश जारी कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

12-5-16
(के.के.खरे)
प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.
एवं पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

क्रं. एफ 1–57/स्था./प्र.रा.आ./2016/27/ :: मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला–होशंगाबाद** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :–

स.क्र.	राजस्व निरीक्षक का नाम
1.	श्री एम.एल. यादव
2.	श्री अजय कुमार सिआरिया
3.	श्री सुनील दुबे
4.	श्री अब्दुल हमीद खान
5.	श्री नर्मदा प्रसाद शर्मा
6.	श्री युवराज हल्वा
7.	श्री सतीश कुमार चौहान
8.	श्री मिठ्ठूलाल पवार
9.	श्री ओमप्रकाश सोनी
10.	श्री संतोष कुमार मण्डलोई
11.	श्री संजीव मांडरे

2. शर्तें :–

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह

जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे।

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है।

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है। इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी।

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश जारी कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

12.5.16
(के.के.खरे)
प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.
एवं पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

क्रं. एफ 1–57/स्था./प्र.रा.आ./2016/28/ :: मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला–हरदा** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :–

स.क्र.	राजस्व निरीक्षक का नाम
1.	श्री कैलाश चन्द्र व्यास
2.	श्री अजाब राव खडसे
3.	श्री रमछूलाल बट्टी
4.	श्री रणजीत सिंह चौहान
5.	श्री प्रेमसिंह दिवान

2. शर्तें :–

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे।

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है।

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह

पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है। इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी।

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश जारी कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

12.5.16

(के.के.खरे)
प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.
एवं पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

क्रं. एफ 1–57/स्था./प्र.रा.आ./2016/29/ :: मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहि (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला–सागर** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्ति करती है :–

स.क्र.	राजस्व निरीक्षक का नाम
1.	श्री हेमन्त रिछारिया
2.	श्री हरनाम सिंह राजपूत
3.	श्री लक्ष्मीनारायण ताम्रकार
4.	श्री प्रमोद सिंह राजपूत
5.	श्री रामगोपाल नायक
6.	श्री सावधान अहिरवार
7.	श्री हरगोविन्द अग्निहोत्री
8.	श्री गुलाबसिंह यादव
9.	श्री प्रेमनारायण सिंह
10.	श्री राजेश कोष्टी
11.	श्री देवदीप सिंह
12.	श्री नीरज कलशिया
13.	श्री राजेश मेहरा

2. शर्तें :–

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ई का प्रयोग कर सकेंगे। यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाह का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा

जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे।

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है।

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है। इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी।

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश जारी कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

12.5.16

(के.के.खरे)
प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.
एवं पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

क्रं. एफ 1–57/स्था./प्र.रा.आ./2016/30/ :: मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला–दमोह** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :–

स.क्र.	राजस्व निरीक्षक का नाम
1.	श्री नत्थू सींग ठाकुर
2.	श्री खेमचंद साहू
3.	श्री हरदास अहिरवार
4.	श्री श्यामबिहारी समेले
5.	श्री धनीराम गौड़
6.	श्री नंदलाल सिंह
7.	श्री मुकेश जैन
8.	श्री दिनेश असाटी
9.	श्री कोमल सिंह चढ़ार
10.	श्रीमती इन्दुसिंह ठाकुर
11.	श्री ओमप्रकाश अहिरवार
12.	श्री प्रीतम सिंह
13.	श्री शिवप्रसाद खैरवार
14.	श्री मनीराम गौड़
15.	श्री महेश दुबे

2. शर्तें :–

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों

का प्रयोग कर सकेंगे। यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे।

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है।

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है। इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी।

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश जारी कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

12.5.16

(के.के.खरे)
प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.
एवं पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

क्रं. एफ 1–57/स्था./प्र.रा.आ./2016/31/ :: मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला–पन्ना** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :–

स.क्र.	राजस्व निरीक्षक का नाम
1.	श्री जगदीश प्रसाद तिवारी
2.	श्री प्रमोद पुष्पद
3.	श्री महाराज सिंह राजगौड
4.	श्री लवलेश कुमार खम्परिया
5.	श्री इन्द्र कुमार गौतम
6.	श्री मंगलेश्वर सिंह
7.	श्री राजकुमार वर्मा
8.	श्री मेघेन्द्र बंदोपाध्याय
9.	श्री रामनरेश गौतम
10.	श्री श्यामदास कौल
11.	श्री रतनसिंह गौड
12.	श्री कमल किशोर शर्मा
13.	श्री लीला प्रसाद कौल
14.	श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह
15.	श्री प्रमोद प्रजापति
16.	श्री लक्ष्मण सिंह

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे।

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है।

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है। इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी।

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश जारी कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

12.5.16
(के.के.खरे)
प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.
एवं पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

क्रं. एफ 1–57/स्था./प्र.रा.आ./2016/32/ :: मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला–छतरपुर** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :–

स.क्र.	राजस्व निरीक्षक का नाम
1.	श्री खेमचंद्र कटारिया
2.	श्री ओमप्रकाश मिश्रा
3.	श्री द्वारका प्रसाद पटेल
4.	श्री भगत सिंह परिहार
5.	श्री रामदयाल रावत
6.	श्री रामबाबू दीक्षित
7.	श्री लटोरेलाल अहिरवार
8.	श्री अनिल कुमार खरे
9.	श्री ईश्वर दयाल अहिरवार
10.	श्री हरीमोहन नायक
11.	श्री ओम प्रकाश गुप्ता
12.	श्री सुरेश चंद्र अवस्थी
13.	श्री जयहिंद सिंह घोष
14.	श्री रामशरण शर्मा
15.	श्री श्रीपत अहिरवार
16.	श्री सूर्य प्रकाश खरे
17.	श्री हरिनारायण शर्मा
18.	श्री केशव नारायण
19.	श्री ठाकुरदास अहिरवार
20.	श्री धनीराम बौद्ध

2. शर्तें :–

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे।

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है।

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है। इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी।

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश जारी कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

12.5.16
(के.के.खरे)
प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.
एवं पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

क्रं. एफ 1–57/स्था./प्र.रा.आ./2016/33/ :: मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला–टीकमगढ़** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :–

स.क्र.	राजस्व निरीक्षक का नाम
1.	श्री राजाराम वंशकार
2.	श्री रामनाथ अहिरवार
3.	श्री शशिकांत दुबे
4.	श्री राजाराम रजक
5.	श्रीराम समेले
6.	श्री सत्यनारायण शर्मा
7.	श्री विजयदेव पाण्डे
8.	श्री नंदराम यादव
9.	श्री प्रभु दयाल अहिरवार
10.	श्री राजेन्द्र मिश्रा
11.	श्री सुरेश कुमार पटेरिया
12.	श्री शिशुपाल सिंह
13.	श्री पंचम प्रसाद शर्मा
14.	श्री सतोला प्रसाद चौधरी
15.	श्री खेम चंद यादव
16.	श्री बृजेश कुमार खरे
17.	श्री सुशील कुमार खरे
18.	श्री भोला प्रसाद अहिरवार
19.	श्री रामराज गुप्ता

2. शर्तें :–

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे।

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है।

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है। इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी।

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश जारी कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के.के.खरे) 12.5.16
प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.
एवं पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

क्रं. एफ 1–57/स्था./प्र.रा.आ./2016/34/ :: मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला–जबलपुर** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :–

स.क्र.	राजस्व निरीक्षक का नाम
1.	श्री भारत सिंह पटेल
2.	श्री शिवकुमार चौकसे
3.	श्री के.के. शिवहरे
4.	श्री विवेक मुले
5.	श्री रिपुदमन सिंह
6.	श्री सुशील कुमार पटेल
7.	श्री नेम चंद महोबिया
8.	श्री भोला प्रसाद गुप्ता
9.	श्री लोकमन कोरी
10.	श्री लालमणि सतनामी
11.	श्री राजाराम दीक्षित
12.	श्री संजय दुबे
13.	श्री अरूण भूषण दुबे
14.	श्री राजेश कुमार पटवा
15.	श्री रमेश कुमार किरार
16.	श्री रामजी तिवारी
17.	श्री दुलारे लाल परते

2. शर्तें :–

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे।

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है।

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है। इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी।

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश जारी कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के.के.खरे) 12.5.16
प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.
एवं पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

क्रं. एफ 1–57/स्था./प्र.रा.आ./2016/35/ :: मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला–कटनी** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :–

स.क्र.	राजस्व निरीक्षक का नाम
1.	श्री विश्वमित्र पाण्डे
2.	श्री सतीश श्रीवास्तव
3.	श्री कपूरचंद अग्रवाल

2. शर्तें :–

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे।

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है।

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है। इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का

लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी।

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश जारी कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के.के.खरे) 12.5.16
प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.
एवं पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

क्रं. एफ 1–57/स्था./प्र.रा.आ./2016/36/ :: मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला–नरसिंहपुर** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :–

स.क्र.	राजस्व निरीक्षक का नाम
1.	श्री रूप सिंह पटेल
2.	श्री राजेन्द्र सोनी
3.	श्री अवधेश पटेल

2. शर्तें :–

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे।

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है।

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है। इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का

लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी।

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश जारी कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

12.5.16

(के.के.खरे)
प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.
एवं पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

क्रं. एफ 1–57/स्था./प्र.रा.आ./2016/37/ :: मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला–छिंदवाड़ा** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :–

स.क्र.	राजस्व निरीक्षक का नाम
1.	श्री प्रहलादसिहं बघेल
2.	श्री भरतसिंह राय
3.	श्री प्रमोद उपगडे
4.	श्री सुखलाल डेहरिया
5.	श्री गणेशलाल डेहरिया
6.	श्री प्रेमप्रकाश दुबे
7.	श्री सुंदरलाल दुबे
8.	श्री महेन्द्रसिंह चौहान
9.	श्री अनिल शुक्ला
10.	श्री महेश कुमार बट्टी
11.	श्री जगभानशाह उईके
12.	श्री तेजीलाल उईके
13.	श्री गोपीचंद पवार
14.	श्री रामकृष्ण साहू

2. शर्तें :–

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों

का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे।

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है।

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है। इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी।

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश जारी कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

12.5.16

(के.के.खरे)
प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.
एवं पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

क्रं. एफ 1–57/स्था./प्र.रा.आ./2016/38/ :: मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला–सिवनी** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :–

स.क्र.	राजस्व निरीक्षक का नाम
1.	श्री मो. यासीन कुरैशी
2.	श्री रामकृष्ण साहू
3.	श्री नेकराम राहंगडाले
4.	श्री राजेन्द्र सिंह भगत
5.	श्री श्याम सेठ राय
6.	श्री सुरेश कुमार साहू
7.	श्री भगवानदास रैदास
8.	श्री राजीव नेमा
9.	श्री ताराचन्द्र शुक्ला

2. शर्तें :–

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे।

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है।

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है। इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी।

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश जारी कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

12.5.16
(के.के.खरे)
प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.
एवं पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

क्रं. एफ 1–57/स्था./प्र.रा.आ./2016/39/ :: मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला–मण्डला** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :–

स.क्र.	राजस्व निरीक्षक का नाम
1.	श्री लक्ष्मण प्रसाद मरावी
2.	श्री राम स्वरूप परौहा
3.	लखन लाल लोधी
4.	श्री तेजलाल धुर्वे
5.	श्री चेतराम पंधा
6.	श्री सुनुवा भलावी

2. शर्तें :–

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे।

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है।

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है। इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी।

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश जारी कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

12.5.16

(के.के.खरे)
प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.
एवं पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

क्रं. एफ 1–57/स्था./प्र.रा.आ./2016/40/ :: मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला–बालाघाट** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :–

स.क्र.	राजस्व निरीक्षक का नाम
1.	श्री दरोगा लाल बाहेश्वर
2.	श्री प्रकाश परते
3.	श्री चन्दकिशोर कांकोडिया
4.	श्री प्रेमराज सिंह ठाकुर
5.	श्री पुन्नुलाल सांडया
6.	श्री अशोक कुमार अडमे
7.	श्री भागसिंह धुर्वे
8.	श्री तिलकचन्द घोरमारे
9.	श्री हरवंशसिंह ठाकुर
10.	श्री पहपसिंह तेकाम
11.	श्री रामसेवक कौल
12.	श्री राजेश दुबे
13.	श्री धमेन्द्र साहू
14.	श्री सेवकराम कड़वे
15.	श्री भोजराज राहंगडाले
16.	श्री दामोदर प्रसाद दुबे
17.	श्री सोहनलाल यादव
18.	श्री रामराज चौधरी
19.	श्री तिरथ प्रसाद अक्षरया
20.	श्री रमेश कुमार मरावी
21.	श्री जगदीश सिंगोर
22.	श्री सुन्दरलाल यादव

23.	श्री रज्जनसिंह कुर्वेती
24.	श्री राजेश सिंह चन्देल

2. शर्तें :–

ARC.

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे।

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है।

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है। इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी।

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश जारी कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

12.5.16
(के.के.खरे)
प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.
एवं पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

क्रं. एफ 1–57/स्था./प्र.रा.आ./2016/41/ :: मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला–डिण्डौरी** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :–

स.क्र.	राजस्व निरीक्षक का नाम
1.	श्री रेवाराम झारिया
2.	श्री गोरेलाल मरावी
3.	श्री जमना प्रसाद भगत
4.	श्री जयसिंह धुर्वे
5.	श्री धनीराम कुशराम
6.	श्री शैलेष गौड़
7.	श्री सरफराज अली

2. शर्तें :–

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे।

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस

प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है।

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है। इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी।

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश जारी कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के.के.खरे) 12.5.16
प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.
एवं पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

क्रं. एफ 1–57/स्था./प्र.रा.आ./2016/42/ :: मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला–रीवा** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :–

स.क्र.	राजस्व निरीक्षक का नाम
1.	श्री गया प्रसाद मिश्रा
2.	श्री जितेन्द्रिय प्रसाद गौतम
3.	श्री दयाशंकर चतुर्वेदी
4.	श्री मेवालाल गुप्ता
5.	श्री लक्ष्मीकांत मिश्रा
6.	श्री मुन्द्रिका प्रसाद मिश्रा
7.	श्री रामसजीवन वर्मा
8.	श्री भाईलाल पाण्डे
9.	श्री परमानंद तिवारी
10.	श्री कमलभान सिंह
11.	श्री आशुतोष श्रीवास्तव
12.	श्री ललन सिंह
13.	श्री शारदा प्रसाद सोनी
14.	श्री रामप्रताप सोनी
15.	श्री शारदा प्रसाद मिश्रा
16.	श्री नारायण सिंह
17.	श्री इन्द्रभान सिह
18.	श्री जालिम सिंह मार्को
19.	श्री सरयू प्रसाद प्रजापति
20.	श्री हंसराज सिंह
21.	श्री बैद्यनाथ प्रसाद पाठक

22.	श्री रामकुमार पनिका

2. शर्तें :–

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे।

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है।

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है। इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी।

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश जारी कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के.के.खरे) 12/5/16
प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.
एवं पदेन सचिव,

क्रं. एफ 1–57/स्था./प्र.रा.आ./2016/43/ :: मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला–सीधी** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :–

स.क्र.	राजस्व निरीक्षक का नाम
1.	श्री रामकृष्ण दुबे
2.	श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह
3.	श्री अनादि प्रसाद पाण्डेय
4.	श्री रोशनलाल रावत
5.	श्री मिथिला प्रसाद पटेल
6.	श्री देवकरन सिंह
7.	श्री सुरेन्द्र प्रसाद तिवारी
8.	श्री जगजीवन सिंह
9.	श्री ददन सिंह
10.	श्री सुनील कुमार द्विवेदी
11.	श्री मणिराज सिंह
12.	श्री प्रदीप कुमार सिंह
13.	श्री शिव प्रसाद नामदेव
14.	श्री सरोज कुमार सिंह
15.	श्री चन्द्रशेखर प्रसाद द्विवेदी

2. शर्तें :–

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों

का प्रयोग कर सकेंगे। यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे।

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है।

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है। इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी।

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश जारी कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के.के.खरे) 12.5.16
प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.
एवं पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

क्रं. एफ 1–57/स्था./प्र.रा.आ./2016/44/ :: मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला–सिंगरौली** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :–

स.क्र.	राजस्व निरीक्षक का नाम
1.	श्री राजेन्द्र कुमार बंसल
2.	श्री इंद्रभान सिंह
3.	श्री रामलाल पनिका
4.	श्री परम सुख बंसल
5.	श्री शेषमणी शर्मा
6.	श्री राजेश कुमार सिंह चौहान
7.	श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय
8.	श्री रामपति कौल
9.	श्री सत्यनारायण पाण्डेय
10.	श्री रामनरेश सोनी
11.	श्री ब्रजेश कुमार पाण्डेय

2. शर्तें :–

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह

जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे।

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है।

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है। इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी।

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश जारी कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के.के.खरे) 12.5.16
प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.
एवं पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

क्रं. एफ 1–57/स्था./प्र.रा.आ./2016/45/ :: मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला–सतना** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :–

स.क्र.	राजस्व निरीक्षक का नाम
1.	श्री देवेन्द्र सिंह भदौरिया
2.	श्री शिवकांत दीक्षित
3.	श्री छोटे लाल वर्मा
4.	श्री संतोष कुमार अरिहा
5.	श्री राजेश कुमार शुक्ला
6.	श्री रमाकांत शुक्ला
7.	श्री जय नंदन सिंह
8.	श्री रामसुरेश त्रिपाठी
9.	श्री राजेश कुमार सोनी
10.	श्री रघवा कौल
11.	श्री फुलेल कुमार रावत
12.	श्री रामकैलाश कौल
13.	श्री बुद्ध सेन मांझी
14.	श्री समयलाल कौल
15.	श्री तेज पति सिंह
16.	श्री लाल जी गौतम
17.	श्री वीरेन्द्र सिंह
18.	डॉ. सुदामा प्रसाद कोल
19.	श्री वीरेन्द्र कुमार द्विवेदी

2. शर्तें :–

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे।

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है।

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है। इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी।

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश जारी कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के.के.खरे) 12.5.16
प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.
एवं पदेन सचिव,

क्रं. एफ 1–57/स्था./प्र.रा.आ./2016/46/ :: मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला–शहडोल** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :–

स.क्र.	राजस्व निरीक्षक का नाम
1.	श्री बुद्ध सेन साकेत
2.	श्री मोहनलाल वर्मा
3.	श्री शंकर दयाल साकेत
4.	श्री रामाधार अहिरवार
5.	श्री शारदा प्रसाद साकेत
6.	श्री रामचंन्द्र शुक्ला
7.	श्री राकेश कुमार शुक्ला
8.	श्री भास्कर दत्त गौतम
9.	श्री गंगाराम पनिका
10.	श्री हीरामणी पटेल
11.	श्री राजेन्द्रदास पनिका
12.	श्री सोहनलाल कोल
13.	श्री सनत कुमार सिंह

2. शर्तें :–

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना

जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे।

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है।

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है। इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी।

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश जारी कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

12.5.16
(के.के.खरे)
प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.
एवं पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

क्रं. एफ 1–57/स्था./प्र.रा.आ./2016/47/ :: मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला–अनूपपुर** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :–

स.क्र.	राजस्व निरीक्षक का नाम
1.	श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी
2.	श्री रामकिशोर पद्माकर
3.	श्री लालाराम सूर्यवंशी
4.	श्री महेश प्रसाद डोहर
5.	श्री ज्वाला प्रसाद साकेत
6.	श्री मुन्नीलाल पाण्डेय
7.	श्री सुरेश स्वर्णकार

2. शर्तें :–

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे।

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस

प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है।

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है। इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी।

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश जारी कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के.के.खरे) 12/5/16
प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.
एवं पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

क्रं. एफ 1–57/स्था./प्र.रा.आ./2016/48/ :: मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला–उमरिया** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :–

स.क्र.	राजस्व निरीक्षक का नाम
1.	श्री राम चरित्र शर्मा
2.	श्री दयाराम बर्मन
3.	श्री कन्हैया लाल तेकाम
4.	श्री चन्द्र सिंह मरावी
5.	श्री छत्रपाल सिंह
6.	श्री गरीब दास ख्याम
7.	श्री विशम्भर सिंह मरावी
8.	श्री हेमन्त बड़करे
9.	श्री धनकुँवर टोप्पो
10.	श्री वैद्यनाथ पाण्डेय
11.	श्री बैशाखू राम प्रजापति
12.	श्री दिनेश कुमार पनिका
13.	श्री श्यामलाल सिंह धुर्वे

2. शर्तें :–

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना

जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे।

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है।

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है। इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी।

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश जारी कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

12/5/16
(के.के.खरे)
प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.
एवं पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.